

ब्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज
.....मोहनलाल बराम.....राजरथन सरकार

करीब हुकम

मु. सं.

दिनांक 04-09-2019

आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व उनके वकील को बार बार आवाज दिलाई गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के प्रति गंभीर नहीं है तथा प्रार्थना पत्र को चलाना नहीं चाहते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रार्थी के पक्ष में जारी अन्त. अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 21-06-2018 निरस्त की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील शामिल मूल वाद रहे।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौता)